पत्र संख्या-9/पें०(2)-01/2019
झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
-::-

प्रेषक,

दीप्ति जयराज,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक

विषयः- झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के नियम 203 के आलोक में कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों के उपादान हेतु अर्हक सेवा अवधि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति के मामले में कई स्वीकृति पदाधिकारियों द्वारा अर्हक सेवा के रूप में कार्यभारित स्थापना एवं नियमित में किये गये कुल सेवा अवधि को जोड़कर प्राधिकार हेतु महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची को भेज दी जाती है जो नियम संगत नहीं है ।

झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के नियम 203 के आलोक में यह स्वतः स्पष्ट है कि वैसे कर्मी जिन्हें कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाया गया हो, उनकी अर्हक सेवा पेंशन हेतु 10 वर्ष से कम होने पर जितनी सेवा 10 वर्ष से कम हो रही हो, उतनी ही सेवा पूर्व में कार्यभारित स्थापना में किये गये सेवा अवधि से जोड़ा जाता है । यह सुविधा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु अर्हक सेवा 10 वर्ष पूर्ण करने के लिए ही दी जाती है । सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान की राशि निर्धारण करने के लिए इतनी ही अवधि मान्य है ।

अतः अनुरोध है कि :-

(i) कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में संपरिवर्तित कर्मियों के मामलों में सेवाशर्त्तो एवं पेंशन नियमावली के नियम 203 का पूर्णपालन करते हुए ही अर्हक सेवा की गणना कर सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति दी जाय ।

(ii) दिनांक 30.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना से नियमति स्थापना में संपरिवर्तित कर्मियों पर सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2004 के प्रभाव से

लागू अंशदायी पेंशन योजना के नियमानुसार ही सेवानिवृति लाभ यथा उपादान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सेवा अवधि नियमित स्थापना में संपरिवर्तित किये जाने की तिथि से ही गणना की जाय । इन कर्मियों के लिए नियम 203 लागू नही होगा ।

कृपया उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किये जाने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दीप्ति जयराज)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक सं०:- 48/ग्रा०वि० राँची, दिनांक 18/3/21

प्रतिलिपिः- उप महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन), झारखण्ड, राँची को उनके अर्द्धसरकारी पत्रांक PR72/work charged staff/2020-21/55 दिनांक 20.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/3/2021

(दीप्ति जयराज)

सरकार के विशेष सचिव ।